रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2019/फाल्गुन 20, 1940
No. 186] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2019/ PHALGUNA 20, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2019

सा.का.नि. 213(अ).—ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 6, धारा 12 और धारा 33 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 654(अ), तारीख 17 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थी, पंद्रह दिन की अवधि के अवसान के पूर्व, आपत्ति और सुझाव आंमत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को 19 जुलाई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त नियमों पर विचार करने के लिए जनसाधारण से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 6, धारा 12 और धारा 33 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:- इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओषधि और प्रसाधन सामग्री (सातवां संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 3क में, उप-नियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(9) निम्नलिखित पशु-चिकित्सा टीकों के परीक्षण से संबंधित प्रयोगशाला के कार्य चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत, उत्तर प्रदेश में किए जाएंगें और उक्त पशु-चिकित्सा टीकों से संबंधित निदेशक के कार्यों का निष्पादन उक्त संस्थान के निदेशक द्वारा किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) हैमोरहैजिक सेप्टिसीमिया टीका;

(ii) रानीखेत रोग टीका।" ।

[फा. सं.एक्स.11035/285/2018-डीआरएस]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ़.28-10/45-एच (1), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 205(अ), तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2019

G.S.R. 213(E).— Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 was published as required by section 6, section 12 and section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number G.S.R. 654(E), dated the 17th July, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of fifteen days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 19th July, 2018;

And whereas, no objections or suggestions were received from the public on the said rules for consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6, section 12 and section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:—

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Seventh Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 3A, after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(9) The functions of the laboratory in respect of testing of the following veterinary vaccines shall be carried out at the Chaudhary Charan Singh National Institute of Animal Health, Baghpat, Uttar Pradesh

and the functions of the Director in respect of the said veterinary vaccines shall be exercised by the Director of the said Institute, namely:-

(i) Haemorrhagic Septicaemia vaccine;

(ii) Ranikhet Disease vaccine.”.

[F.No. X.11035/285/2018-DRS]

DR. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Official Gazette *vide* notification number F.28-10/45-H (1), dated the 21st December, 1945 and last amended *vide* notification number G.S.R 205(E), dated the 8th March, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.03.12 14:28:06 +05'30'